पत्रावली पेश हुई। विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैरनिगरानीकार उपस्थित।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10.6.16 के अवलोकन से प्रकट है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और सुविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है अतः निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। प्रकरण में निगरानीकार सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष विधिवत सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल के शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लिखित आदेश दिनांक 30.10.14 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)